रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन क्रमांक : OA-IIu/BPL/72/2023
दावा पंजीकरण तिथि : 10-02-2023
आदेशार्थ रखने की तिथि : 12th December, 2024
आदेश तिथि : 17th December, 2024

श्रीमती कंचन पत्नी स्व0 श्री अशोक कुमार,
निवासी–चौपड़ा मोहल्ला,
सुभाष वार्ड नम्बर–7, सिहोरा,
जिला–जबलपुर (म0प्र0) .....आवेदक

विरूध्द

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (म0प्र0) .....रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्रीमती फरजाना अजीज, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री ओम शंकर श्रीवास्तव, रेस्पांडेन्ट–अधिवक्ता.

:: नि र्ण य ::

1. आवेदिका ने अपने अविवाहित मृतक पुत्र *योगेश केशवानी आत्मज स्व0 श्री अशोक कुमार* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, *1987* के सेक्शन–*16* के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये *08 लाख* प्राप्त करने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है.

2. आवेदन एवं शपथपत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि लगभग *26* वर्षीय मृतक व्यवसाय करता था एवं वह दिनांक 20-03-2019 को एमएसटी के आधार पर सिहोरा से जबलपुर तक की यात्रा हेतु सिंगरौली–जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस संख्या–11652 में सवार हो रहा था कि अचानक लगे ट्रेन के झटके एवं अधिक भीड़ होने के कारण वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और गिरने से आई गंभीर चोटों के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. घटना की जांच जीआरपी/जबलपुर द्वारा मर्ग संख्या 12/19 पर पंजीबध्द कर की गई. यह अभिवचन किया गया है कि मृतक का एमएसटी घटना के दौरान गुम हो गई है जिसका नम्बर आवेदिका को ज्ञात नहीं है. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट में अविवाहित मृतक पुत्र की मृत्यु हो जाने एवं मृतक के पिता का देहांत पूर्व ही में दिनांक 07–10–2019 को हो जाने से माता के तौर पर आवेदिका ही एकमेव आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

3. रेस्पाडेन्ट ने वैधानिक तरीके से की गई अपनी जांच जिसे डीआरएम रिपोर्ट कहा गया है, में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर अपने जवाबदावे में दावे का पूरजोर विरोध करते हुए

निरंतर.....2/पर

sd

यही कहा है कि मृतक के पास यात्रा का कोई टिकट/एमएसटी नहीं मिली है एवं चश्मदीद गवाहों (सुधीर सिंह, ऑन ड्यूटी, आरपीएफ,सिहोरा एवं शेख नजीम, वेण्डर, सिहोरा स्टेशन) के अनुसार मृतक मेन लाईन से लाल सिगनल होने के कारण धीमी गति से जा रही पवन एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जो कि अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की परिस्थितियों के अधीन समाहित नहीं होने से इसी आधार पर प्रकरण को गुणदोषों के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट द्वारा की गई है.

4. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इश्यूज की रचना किन्हीं कारणों से नहीं हो पाने से परम्परागत निम्नानुसार इश्यूज की रचना की जा रही है :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger of the Train in question at the time of occurrence of the alleged untoward incident ?*

2) *Whehter the death of the deceased was due to an untoward incident as defined under section 123 (c) reas with section 124 A of the Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the respondent railway is protected under the exemption clause to section 124 A of the Railways Act, 1989 andis not liable to pay any compensation ?*

4) *Whether the applicants are the sole dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?*

5) *Relief and cost ?*

5. आवेदिका ने अपने स्वयं के शपथपत्र *(AW/1)* के साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1 to A-10* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश करते हुए उसकी ओर से चश्मदीद गवाह के तौर पर तत्समय स्टेशन पर वेण्डर के तौर पर उपस्थित श्री शेख नजीम को भी शपथपत्र *(RW/1)* के साथ उपस्थित कराया गया है. दोनों ही साक्षियों का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

6. बहस के दौरान आवेदिका की ओर से माननीय केरला हाईकोर्ट की एर्नाकुलम की बेन्च द्वारा पारित न्यायदृष्टांत (2020 ACJ 212 decided on 15-01-2019 in MFA No. 152 of 2018 Sruthi S Vs UOI) को प्रस्तुत किया है.

7. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुन कर और अभिवचनों एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा माननीय केरला हाईकोर्ट के रेफर किये गये न्यायदृष्टांत का भी गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

इश्यूज कमांक–1, 2 एवं 3 :

8. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन तीनों ही इश्यूज पर एकसाथ विचार

निरंतर.....3/पर

किया जा रहा है. उपलब्ध बुनियादी दस्तावेजी साक्ष्यों (ए–1, ए–2, ए–3, ए–4) में मृतक के ट्रेन में चढ़ते समय/ट्रेन से गिरना/सिगरौली एक्सप्रेस में चढ़ते समय पैर फिसल कर गिर जाने का ही अंकन है जबकि *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003* के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर रेस्पांडेन्ट ने दावे का विरोध करते हुए यही कहा है कि मृतक के पास यात्रा का टिकट अथवा एमएसटी आदि कोई प्राप्त नहीं हुआ है अतः मृतक बोनाफाइड पैसन्जर नहीं था साथ ही सिहोरा स्टेशन पर तत्समय उपस्थित चश्मदीद गवाह (सुधीर सिंह, ऑन ड्यूटी, आरपीएफ,सिहोरा एवं शेख नजीम, वेण्डर, सिहोरा स्टेशन) के अनुसार मृतक लाल सिगनल होने की वजह से मेन लाईन से धीमी गति से पास हो रही पवन एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, चूंकि पवन एक्सप्रेस का सिहोरा स्टेशन पर स्टापेज न होने से मृतक के साथ घटित घटना अनपेक्षित में नहीं आती है. उक्त घटना समय 09:40 बजे घटित हुई थी जबकि आवेदिका द्वारा अपने दावा आवेदन में मृतक के सिगरौली–इंटरसिटी एक्सप्रेस से घटना घटित होने का जो अभिवचन किया है कि वह इसलिए असत्य है क्योंकि इंटरसिटी एक्सप्रेस सिहोरा स्टेशन पर समय 11:50 बजे आकर 11:52 पर रवाना हुई थी.

9. मेरे द्वारा परिस्थितिजन्य हालातों व प्रस्तुत मौखिक तथा लिखित साक्ष्यों का अध्ययन किया एवं दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुना. रेस्पांडेन्ट की ओर से जिस सुधीर सिंह को प्रत्यक्षदर्शी माना है, उसे कोर्ट के सम्मुख उपस्थित नहीं कराया गया है साथ ही जांचकर्ता अधिकारी को भी कोर्ट के सम्मुख उपस्थित कराये जाने को उसने मुनासिफ नहीं समझा है. हॉं, उसने तत्समय वेण्डर के तौर पर स्टेशन पर उपस्थित साक्षी–*RW/1* को अवश्य उपस्थित कराया है. लेकिन इसके एवं अन्य किसी भी दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता है कि घटना प्लेटफार्म की नहीं है क्योंकि साक्षी–*RW/1* के प्रति–परीक्षण में उसने यही कहा है कि गाड़ी स्टेशन पर स्लो चल रही थी. अतः कोर्ट यही मानती है कि घटना स्टेशन/प्लेटफार्म पर ही ट्रेन में सवार होते समय ही घटित हुई थी.

10. जहाँ तक मृतक के पास यात्रा से संबंधित कोई टिकट अथवा एमएसटी जब्त नहीं होने का प्रश्न है तो आवेदिका ने कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होकर गवाही में यह साफ कह दिया है कि मृतक पुत्र एमएसटी के आधार पर घटना के समय यात्रा कर रहा था एवं वह सिहोरा से जबलपुर अप–डाउन करता था तो इस संबंध में रेस्पांडेन्ट का यह परम कर्तव्य था कि वह एमएसटी के बारे में साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करता क्योंकि एमएसटी का पूरा रेकार्ड रेस्पांडेन्ट के पास अवश्य होता है. अतः इसके अभाव में एवं माननीय सुप्रीमकोर्ट ने अपने प्रकरण–Civil Appeal No 8605 of 2024 (Arising out of SLP(C) No 32962 of 2018) Doli Rani Saha .... Versus Union of India ....के पैरा कमांक–13 एवं 14 में यह साफ अवधारित कर दिया है कि मृतक घटना के समय बोनाफाइड पैसेन्जर नहीं था, यह साबित करने का उत्तरदायित्व अब रेस्पांडेन्ट पर स्थानांतरित हो गया है, जिसे रेस्पांडेन्ट की ओर से किसी भी मौखिक अथवा लिखित गवाही से साबित नहीं किया गया है, अतः अखण्डित रहने से मैं यही अवधारित करता हूँ कि घटना के समय मृतक उस एमएसटी के आधार पर ही बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा कर रहा था, जो घटना के

निरंतर.....4/पर

कारण मृतक से अथवा घटनास्थल से प्राप्त नहीं किया जा सका.

11. अतः अंतिम तौर पर यही तथ्य सामने आता है कि घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के यात्रा हेतु ट्रेन में सवार होते समय नीचे गिरने की घटित हुई है जो कि रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (c) (2) के अन्तर्गत बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना में समाहित होती है. अतः आवेदिका की ओर से माननीय केरला हाईकोर्ट की एर्नाकुलम बेन्च द्वारा रेफर किये गये न्यायसिध्दांत का लाभ आवेदिका को दिया जाना न्यायोचित ही है. तदनुसार घटना मतक के बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर ट्रेन में सवार होते समय घटित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे इसी एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 के अन्तर्गत मृतक के आश्रितों को निर्धारित प्रतिकर राशि देने हेतु बाध्य है. अतः इश्यूज क्रमांक –1, 2 एवं 3 का विनिश्चय आवेदिका के पक्ष में किया जाता है.

इश्यूज क्रमांक–4 एवं 5 :

12. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतक पुत्र के अविवाहित होने से एवं पिता की मृत्यु पूर्व ही दिनांक 07–10–2019 हो जाने से माता के तौर पर एकमेव आश्रित होने से आवेदिका ने यह दावा दाखिल किया है एवं अपनेआप को आश्रित साबित करने के लिए मृतक एवं मतक के पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र, रॉशनकार्ड, अपना आधारकार्ड एवं बैंक पासबुक *(A-6 & 10)* आदि दस्तावेज पेश किये गये हैं. आवेदिका ने सशपथ दोहराया है कि मृतक पुत्र का विवाह नहीं हुआ था. इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर मृतक पुत्र के अविवाहित होने से माता के तौर पर आवेदिका ही *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 B (i)* के अधीन मृतक की एकमात्र आश्रित साबित होती है.

13. चूँकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* के नियम–3 की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

14. सुप्रीमकोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* के नियम–3 की अनुसूची के भाग एक के अधीन निर्धारित रूपये *8,00,000/-* की राशि एवं घटना दिनांक *20-03-2019* से भुगतान तिथि तक की अवधि पर *09%* प्रतिवर्ष साधारण ब्याज भी संदेय होगा. अतः निर्धारित आश्रित ब्याज सहित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

15. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये *8,00,000/-* में से आश्रित के तौर पर आवेदिका को निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

निरंतर.....5/ पर

Sd

Sl No	Name of the Applicants	Relationship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)	श्रीमती कंचन	माता	47	8,00,000/-

16. रेस्पांडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक *20-03-2019* से भुगतान तिथि तक *09%* प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी संदेय आश्रितों को करेगा.

17. उक्त तालिका के कॉलम संख्या–5 की राशि में से 10% राशि एवं प्रतिकर राशि पर समस्त देय ब्याज को लाभार्थी के खाते में सीधे स्थानांतरित की जाएगी जिसको सम्बन्धित लाभार्थी तत्काल निकाल सकती है एवं कॉलम–5 में दर्शाई गई राशि में से बची शेष राशि अर्थात् 90% राशि को लाभार्थी के नाम से 05 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा जिस पर अर्जित ब्याज एफडी होल्डर मासिक अथवा अपनी सुविधानुसार आहरित कर सकेंगे.

18. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगा. रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से *60* दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

19. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक *12%* वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

20. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे,
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी,
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी,
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी.

21. आवेदकों/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदकों/लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदकों/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी.

22. आवेदकों/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

23. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदकों/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

24. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors*

शेष.....6/पर

Account No. 10064520760 IFSC Code : SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP) बैंक खाते में *RTGS* के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

25. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदकों/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदकों/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधार कार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदकों/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

26. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदकों/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

27. लाभार्थी/आवेदकों को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु रेस्पांडेन्ट/लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर).

28. बैंक आवेदकों/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा.

29. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा.

30. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा.

31. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

32. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

33. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

17/12/2024

Sd (राजेश कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 17th December 2024 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

17/12/2024

Sd (राजेश कुमार गर्ग).
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल